

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
08 अगस्त, 2022

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण पर प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने “रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यान्वित की। यह निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2020 से अक्टूबर 2020 तक की गयी। लेखापरीक्षा नमूने से संबंधित अतिरिक्त मामलों की भी अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान जांच की गई, जहां ऐसा करना आवश्यक था और जनवरी 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ निष्कर्षों पर चर्चा की गई। प्रत्यक्ष कर पर 2022 की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 6 को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

विहंगावलोकन

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र तेजी से बढ़नेवाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है और यह अत्यधिक निर्यातोन्मुख और श्रम प्रधान है। आज भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हीरे की कटिंग और पालिश करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उद्योग की आर्थिक कार्यकलापों में प्रमुख स्थिति है तथा इसकी वृद्धि की भारी संभाव्यता है। हीरे तथा सोने के आयातों की बड़ी राशि के कारण संव्यवहारों के उच्च मूल्य और विदेशी मुद्रा के शामिल होने को देखते हुए, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में दुरुपयोग और धन की हेराफेरी होने की संभावना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा इकाई (अप्रत्यक्ष कर- सीएण्डएजी की सीमाशुल्क लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016 की संख्या 6) और राजस्व आसूचना निदेशालय ने अनियमितताएं इंगित की थीं जिसमें सोने के जेवरात की बड़े पैमाने पर सोने के जेवरात की राउंड ट्रिपिंग और मशीन-निर्मित कूड का निर्यात शामिल है ताकि प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और बैंको से क्रेडिट सीमाएं/वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए टर्नओवर में कृत्रिम रूप से वृद्धि की जा सके। उपरोक्त के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर किए गए मुद्दों और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के संबंध में समय-समय पर सूचित विभिन्न अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, 'रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण' पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) को प्रत्यक्ष करों के निर्धारण के परिप्रेक्ष्य से जांच के लिए लिया गया था।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता की जांच करना और मौजूदा कानून और प्रक्रिया में

कमियों/ संदिग्धता की पड़ताल करना, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारियों की दक्षता और प्रभावकारिता का निर्धारण करना और यह सुनिश्चित करना कि क्या विभाग के अन्दर और बाह्य विभागों के साथ प्रणालियां, आंतरिक नियंत्रण, प्रक्रियाएं और मॉनीटरिंग तथा समन्वय तंत्र पर्याप्त और मजबूत हैं ताकि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों को कवर किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

- 2010 से 2020 के दौरान अनगढ़ हीरे के आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य की वृद्धि में अनियमित प्रवृत्तियां लेखापरीक्षा में पाई गईं जिसका आयातों और निर्यातों के विस्तृत खुरदरे स्तर पर जांच करने की आवश्यकता है।

(पैरा 2.2.2)

- मोतियों के आयात और निर्यात के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि यद्यपि वि.व. 2012-13 से वि.व. 2017-18 (वि.व. 2012-13 और 2013-14 के अतिरिक्त) के दौरान मोती के निर्यात में अधिक अंतर नहीं था, तथापि उक्त अवधि के दौरान मोतियों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके बाद वि.व. 2018-19 से आयात में अचानक गिरावट हुई।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान मोतियों का भारत से आयात वैश्विक मोती उत्पादन के औसत वार्षिक मूल्य से 3 से 10 गुना तक अधिक था। इसके अतिरिक्त देश में मोतियों के आयात दर में कई गुना वृद्धि हुई। भारत में मोतियों के आयातों का मूल्य मोतियों के वैश्विक उत्पादन के मूल्य से काफी अधिक होना इस बात का संकेत देता है कि व्यापार के गलत बीजक बनाए गए और निधियों की राउंडट्रिपिंग हुई जिसे रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के संबंध में गम्भीर चिंता के रूप में उजागर किया गया है।
- मोतियों के आयात मुख्य रूप से यूएई, हांगकांग और थाईलैंड से किए गए, जिनका वैश्विक मोती उत्पादन में नगण्य योगदान था।

(पैरा 2.2.4)

- 84 संवीक्षा मामलों में से सात में लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने धारा 10ए के अन्तर्गत ₹ 5,654.39 करोड़ के कुल निर्यात टर्नओवर के प्रति ₹ 115.45 करोड़ की समग्र कटौतियाँ अनुमत की भले ही ₹ 3,878.95 करोड़ की राशि की निर्यात प्राप्तियों का बड़ा भाग (कुल निर्यात टर्नओवर के 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक) छह महीने से अधिक बकाया था। इन मामलों में संभावित राजस्व हानि ₹ 28.57 करोड़ बनती थी। इसके

अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 10एए के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए एसईजेड यूनिटों द्वारा निर्यात प्राप्तियों के समय पर प्रेषण के लिए आयकर अधिनियम 1961 में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। आयकर अधिनियम में प्रावधानों के अभाव में उन मामलों में भी आयकर विभाग द्वारा कटौतियां अनुमत की जा रही थीं जहां निर्यात प्राप्तियों का प्रमुख-भाग उगाही के लिए लंबित था।

(पैरा 3.1)

- लेखापरीक्षा में जांच किए गए नमूना मामलों से लेखापरीक्षा ने पाया कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रकटन और निर्धारितियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर निर्धारण पूरे किए गए थे। निर्धारण अभिलेखों में मूल्यांकन विवरणों की विस्तृत जांच के साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि आयकर रिटर्नों में निर्धारितियों द्वारा और कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा प्रकटित मालसूची के मूल्यांकन की परिशुद्धता के बारे में विभाग ने स्वयं को कैसे संतुष्ट किया। साथ ही रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्धारितियों के निर्धारण को पूरा करने के लिए सीबीडीटी द्वारा कोई मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) अथवा अनुदेश/ मार्गदर्शन निर्धारित नहीं किया गया है।

(पैरा 3.3)

- लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि आईटीआर और टीएआर के मौजूदा फॉर्म रत्न एवं आभूषण कारोबार में लगे किसी सत्व द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले निर्यातों और आयातों के विवरण नहीं रखते। इसके अतिरिक्त मौजूदा कारोबार कोड रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं की पहचान करने में आयकर विभाग को समर्थ नहीं बनाते। इस प्रकार, उन्हीं संबंधित पार्टियों को किए गए आयातों और निर्यातों के कारण और रत्न एवं आभूषण के कारोबार में व्यापारित वस्तुओं के साथ इसे सम्बद्ध करने के कारण संदेहास्पद संव्यवहारों की पहचान करना मौजूदा रिपोर्टों और रिटर्नों के माध्यम से अभिगृहीत डेटा से संभव नहीं होगा।

(पैरा 4.1.2.1)

- 360-डिग्री विश्लेषण के अन्तर्गत सात निर्धारितियों के संबंध में मामलों की जांच करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं जैसे संदेहास्पद कारोबार कार्यकलापों की जांच न करना; घोषित न किया गया अधिक आउटपुट, स्टॉक का कम लेखांकन और ₹ 37,909.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले 33 महत्वपूर्ण मुद्दों में संबंधित पार्टियों के अभिलेखों की तुलना में निर्धारितियों के अभिलेखों के अनुसार निर्धारितियों द्वारा किए गए दावों में अन्तरों का सत्यापन न करना। इस तरह की अनियमितताओं में कर अपवंचन का अंतर्निहित जोखिम था जिसके लिए आगे की जांच और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।

(पैरा 4.2)

- लेखापरीक्षा ने नौ राज्यों में गलत अनुमति से कारोबार व्यय संबंधित ₹ 188.40 करोड़ कर प्रभाव वाले 40 मामले नोट किए।

(पैरा 4.4)

- लेखापरीक्षा ने 10 राज्यों में 34 मामलों में पाया कि आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आय पर विचार करने में निर्धारण अधिकारी विफल रहे। ऐसी आय में देयता का समापन, धारा 115 जेबी के अन्तर्गत आय की संगणना, स्टॉक/बिक्री की कम रिपोर्टिंग आदि शामिल हैं। इन सभी मामलों में शामिल कुल कर प्रभाव ₹ 58.86 करोड़ बनता था।

(पैरा 4.6.2)

- लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टांत पाए जहां निर्धारण अधिकारी ने कर, अधिभार, ब्याज, शास्ति और प्रतिदाय की संगणना में गलती की जिसके कारण 10 राज्यों में 58 निर्धारण मामलों में ₹ 112.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
- त्रुटियाँ इस तथ्य का संकेत हैं कि आईटीडी सिस्टम में कमी या अपेक्षित कार्यक्षमता नहीं थी।

(पैरा 4.7)

- लेखापरीक्षा में जांच किए गए नमूना मामलों से लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि आईटीआर में निर्धारितियों द्वारा भरे गए कारोबार कोड की परिशुद्धता का सत्यापन निर्धारण प्रक्रिया के दौरान नहीं किया गया था। फलस्वरूप क्षेत्र विशेष की सटीक सूचना तैयार करना संभव नहीं है।

(पैरा 5.1)

- 19 निर्धारितियों से सम्बन्धित (यूनिक पैन) ₹ 30,560.46 करोड़ के बिक्री टर्नओवर वाले 33 निर्धारण मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चार निर्धारण वर्षों में आईटीआर दाखिल नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों द्वारा नान-फाइलर्स के विरुद्ध उपचारी कार्रवाई करने के लिए विभाग के अन्दर सूचना के समय पर आदान-प्रदान को भी सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण प्रणाली की प्रभावी ढंग से मॉनीटरिंग नहीं की गयी थी।

(पैरा 5.2.1)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण इकाइयों में निर्धारण रिकॉर्ड के अनुसार आंकड़ों की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा केंद्रीय रूप से व्यवस्थित आंकड़ों के बीच बेमेलता के उदाहरणों को देखा। डेटा बेमेलता के उदाहरण, प्रणालीगत मुद्दों, प्रवेश स्तर पर डेटा की हैंडलिंग में कमी और आईटीडी के क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा निर्धारण डेटा के गैर-अपडेशन को दर्शाते थे।

(पैरा 5.3)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 346 दृष्टांतों में निर्धारितियों ने आईटीआर और/या कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में मालसूची के मात्रात्मक विवरणों का प्रकटन नहीं किया था; 362 दृष्टांतों में, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से प्रकटनों की तुलना में आईटीआर के अनुसार मात्रात्मक विवरणों में बेमेलता थी और 330 मामलों में कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में विसंगतियां थीं जैसे अन्त स्टॉक का गलत अग्रेनयन, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित विभिन्न प्रकटनों में गलतियां। विसंगतियां इस तथ्य को दर्शाती थीं कि आईटीडी प्रणालियों में ऐसे मामलों में सीपीसी बेंगलुरु के माध्यम से आईटीआर संसाधित करने के चरण में विसंगतियों और अंतराल का पता लगाने में कमी थी। इसके अलावा उपलब्ध अभिलेखों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने इन विसंगतियों की जाँच नहीं की थी। ऐसी विसंगतियों का सत्यापन न करने से निर्धारण से छूट गयी आय का जोखिम भी हो गया।

(पैरा 5.4)

- 81 संवीक्षा निर्धारण मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आईटीआर/कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकटित मात्रात्मक विवरणों के अनुसार स्टॉक में कमी थी/आधिक्य था, तथापि यह दर्शाने के लिए निर्धारण अभिलेखों में कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि ऐसी विसंगतियों का सम्बन्ध में विभाग ने कोई जांच की थी/सत्यापन किया था।

(पैरा 5.6)

- आयकर विभाग (आईटीडी) के अन्दर सूचना साझा करने का निर्धारण के साथ-साथ गैर-निर्धारण इकाइयों द्वारा विभाग के अन्दर समन्वय की कमी के कारण प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था, जिससे संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई, और राजस्व की हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 6.1)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि समान संवर्धन आधार होने पर भी जाली प्रविष्टियों एवं खरीदों के विपरीत संवर्धनों के निर्धारणों में कोई एकरूपता या संगति नहीं थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि समायोजन प्रविष्टियों/ जाली खरीदों की अस्वीकृति के लिए कोई दिशा-निर्देश/एसओपी नहीं है। संवर्धन एक मनमाने ढंग से या विवेकाधीन तरीके से किए गए थे और अपीलीय चरण में संवर्धन की गैर-स्थिरता के एक अंतर्निहित जोखिम के साथ निर्धारण आदेश में उचित औचित्य दर्ज किए बिना किए गए थे।

(पैरा 6.1.2.2)

- लेखापरीक्षा आयकर विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय की सीमा को लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गयी सूचना प्रस्तुत न करने के कारण सुनिश्चित नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा यह सत्यापन नहीं कर सकी कि क्या रत्न एवं आभूषण कारोबार में लगे सत्त्वों से संबंधित

संव्यवहारों सम्बन्धी विसंगतियों या अनियमितताओं का पता लगाने के लिए बाह्य एजेंसियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया गया था।

(पैरा 6.2)

- लेखापरीक्षा में रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर विभाग में कमजोर मॉनीटरिंग तंत्र के संकेत वाले मामलों को पाया। इन क्षेत्रों में रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं के निर्यात और आयात में असामान्य प्रवृत्ति, फाइलिंग चरण में या मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आईटीआर में निर्धारितियों द्वारा दर्ज किए गए करोबार कोड की सटीकता का सत्यापन न करना, धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात आय लाने के लिए समय सीमा की अनुपस्थिति, जांच मूल्यांकन के दौरान आईटीआर और टीएआर में इन्वेंट्री के मात्रात्मक प्रकटीकरण का सत्यापन न करना और एसओपी या रत्न और आभूषण क्षेत्र के विशिष्ट निर्धारितियों के निर्धारण के लिए निर्देशों/ दिशानिर्देशों की कमी शामिल है। इन क्षेत्रों में सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है क्योंकि रत्न और आभूषण क्षेत्र में लेन-देन और दावों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग, मिस-इनवॉइसिंग और काले धन के रूटिंग के जोखिम का महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि ये मुद्दे दिशानिर्देशों/ एसओपी और जोखिमों को संबोधित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्देशों के अभाव में आईटीडी द्वारा जांच से बच जाते हैं, जो समय-समय पर विभिन्न सरकारी समितियों और एफएटीएफ द्वारा भी उजागर किए जाते हैं।

(पैरा 6.4)

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- सीबीडीटी अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात प्राप्तियों के विरुद्ध विचार करने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करने पर विचार करे।

[पैरा 3.1, 3.5(क)]

- रत्न और आभूषण मामलों की संवीक्षा के निर्धारण के दौरान की जाने वाली जांचों को शामिल करते हुए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) और मानक दिशानिर्देश न्यायालय में स्वीकार्य संवर्धन करने और हीरा व्यापारियों/विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई अनैतिक व्यापार प्रचलनोंको रोकने के लिए भी अनिवार्य है।

[पैरा 3.3, 3.5(घ)]

- सीबीडीटी ₹ 500 करोड़ या ₹ 1000 करोड़ से अधिक का सकल टर्नओवर या सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य सीमा जैसे अत्याधिक उच्च सीमा वाले बहुत उच्च मूल्य वाले मामलों में हीरा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हीरे के मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक ग्रेड-वार ब्यौरे को शामिल करने के लिए कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप को संशोधित करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 3.3.1, 3.5(ड)]

- सीबीडीटी जाली खरीद, बड़े हुए बीजक आदि के संबंध में वर्तमान प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच कर सकता है क्योंकि इनसे अप्रकटित आय मौजूदा प्रावधानों के तहत कवर नहीं की जाती है।

[पैरा 3.3.1, 3.5(च)]

- सीबीडीटी रत्न और आभूषण कारोबार में लगी संस्थाओं के निर्धारण के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है जिसमें त्रुटि मुक्त निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों के लिए निर्देश शामिल हैं। सीबीडीटी निम्नलिखित लाइनों पर रत्न और आभूषण कारोबार में लगे निर्धारितियों के संबंध में कंप्यूटर सहाय्यित प्राप्त संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के तहत सीमित और पूर्ण संवीक्षा के लिए मामलों की पहचान के लिए जोखिम मापदंडों के संयोजन को लागू करने पर विचार कर सकता है: बिक्री टर्नओवर ₹ 500 करोड़ या ₹ 1000 करोड़ की सीमा मूल्य से अधिक या बोर्ड द्वारा सही समझे जाने वाले किसी भी अन्य उच्च मूल्य से अधिक है, बिक्री टर्नओवर के 0.5 प्रतिशत से कम की आय, एक वर्ष से अधिक समय से रत्न और आभूषणों की मदों के निर्यात के बदले विदेशी मुद्रा आय की वसूली न करना, प्रपत्र 3सीईबी फाइल न करना आदि।

[पैरा 4.1, 4.10(क)]

- सीबीडीटी संदिग्ध प्रकृति के संव्यवहार की पहचान करने और कर अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए रत्न और आभूषण कारोबार में लगी किसी भी सत्व द्वारा सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली एक निश्चित सीमा से परे संबंधित पक्षों के साथ किए गए निर्यात और आयात संव्यवहार के विवरण को प्राप्त करने पर विचार कर सकता है, हालांकि संवीक्षा के अधीन ऐसे मामलों की विस्तृत संवीक्षा की जा रही है।

[पैरा 4.1.2.1, 4.10(ख)]

- सीबीडीटी फॉर्म 3सीडी के माध्यम से सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट एक निश्चित सीमा से परे संव्यवहार के लिए संबंधित पक्षों के पैर विवरण का अनिवार्य प्रकटीकरण सुनिश्चित कर सकता है और संबंधित पक्षों के पैर के सत्यापन पर भी विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2, 4.10(ग)]

- आयकर विभाग लाभ और हानि खाते और टीएआर के अनुसार स्टॉक के प्रकटीकरण में अंतर के गैर-सत्यापन के कारणों की संवीक्षा विशेष रूप से बड़े बिक्री टर्नओवर वाली सत्त्वों में और अस्पष्टीकृत अतिरिक्त आउटपुट का गैर-सत्यापन करने के लिए बिक्री के छिपाव और बेहिसाब कच्चे माल की शुरुआत के माध्यम से अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2, 4.10(घ)]

- आयकर विभाग सिस्टम संवीक्षा निर्धारण के तहत विस्तृत जाँच के लिए एक विशेष निर्धारण वर्ष में एक ही निर्धारिती द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किए गए स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों में प्रकटीकरण में अंतर से जुड़े मामलों के चयन को प्राथमिकता दे सकता है।

[पैरा 4.2, 4.10(ङ)]

- रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों की कारोबारी गतिविधि की विशेष प्रकृति और इस तरह के कारोबार में शामिल संव्यवहार की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों के अनुचित प्रकटीकरण, असामान्य प्राप्ति/ अपव्यय से संबंधित मुद्दों, संबंधित पक्षों आदि के अभिलेखों में प्रकटीकरण की तुलना में मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों के अनुसार दावों की जाँच करने के लिए निर्धारितियों और उनके संबंधित पक्षों की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2.8, 4.10(च)]

- सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्या त्रुटियाँ/ अनियमितताएं कमीशन की त्रुटियाँ हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। आयकर विभाग, त्रुटियाँ और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

[पैरा 4.3 से 4.8, 4.10(झ)]

- सीबीडीटी अन्य जोखिम कारकों के साथ संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में फॉर्म 3सीईबी को फाइल न करने से जुड़े मामलों के चयन को प्राथमिकता दे सकता है क्योंकि निर्धारितियों द्वारा फॉर्म 3सीईबी फाइल करने की संभावना हो सकती है जिससे सीएएसएस के मापदंडों के तहत ऐसे मामलों के चयन की संभावना कम हो सकती है।

[पैरा 4.8.2, 4.10(ञ)]

- सीबीडीटी रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा दर्ज कारोबार कोड की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा, सीबीडीटी रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए निर्धारित कारोबारी कोड की बेहतर

मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता, विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी समय पर साझा करने के लिए अधिक विस्तार से विचार किया जा सकता है।

[पैरा 5.1, 5.11(क)]

- आयकर विभाग को अपूर्ण आईटीआर को अस्वीकार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जहां भी निर्धारिती धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है और स्टॉक/खरीद/खपत/बिक्री आदि के मात्रात्मक विवरण फाईल नहीं करता है। सिस्टम को आईटीआर स्वीकार नहीं करना चाहिए और निर्धारिती को आईटीआर के निर्धारित खंडों में विवरण भरने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा, फाइलिंग चरण में विवरण के प्रकटीकरण में निर्धारिती द्वारा अपनाए गए अनौपचारिक दृष्टिकोण को रोकने के लिए कारोबार कोड, अंत स्टॉक आदि जैसे गलत/ शून्य डेटा को उद्धृत करने के लिए निर्धारिती पर देयता निर्धारित की जानी चाहिए।

[पैरा 5.4.4 से 5.4.6, 5.11(ग)]

- सीबीडीटी एसओपी के माध्यम से निर्धारण अधिकारी को आईटीआर और टीएआर में स्टॉक के गैर-प्रकटीकरण और स्टॉक में बेमेलता के कारणों की जांच करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, रत्न और आभूषण क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बेहिसाब स्टॉक की रूटिंग के जोखिम को कम करने और कर अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए, जहां स्टॉक का मूल्य आईटीआर और वार्षिक लेखाओं में दिखाया गया है लेकिन मात्रात्मक विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, और इसके साथ-साथ, इसके कारणों और लाभप्रदता पर उनके प्रभाव का निर्धारणों में पता लगाया जाना चाहिए।

[पैरा 5.4, 5.11(ड)]

- राउंड-ट्रिपिंग को प्रतिबंधित करने के लिए, डीजीएफटी की विदेश व्यापार नीति प्रक्रिया की पुस्तिका के माध्यम से रत्न और आभूषण क्षेत्र की कुछ मदों के आयात और निर्यात के लिए मूल्यसंवर्धन और अपव्यय मानदंड निर्धारित करती है। सीबीडीटी को नगण्य मूल्यसंवर्धन के साथ महत्वपूर्ण रूप से अन्य आयात और निर्यात वाले मामलों को विस्तृत संवीक्षा के लिए एक मानदंड के रूप में चुनने पर विचार कर सकता है। इसी तरह, जहां उद्योग के औसत की तुलना में प्राप्त या अपव्यय असाधारण रूप से कम या अधिक है, निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से कारणों की मांग करनी चाहिए कि निर्धारिती लाभ को छिपा तो नहीं रहा है।

[पैरा 5.7, 5.11(च)]

- आयकर विभाग को आयकर विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों के बीच सामयिक जानकारी साझा करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि रत्न और आभूषण क्षेत्र में

खरीद, बिक्री, देनदारों, लेनदारों, असुरक्षित ऋणों और संबंधित पार्टी संव्यवहार आदि पर जाली बीजकों, जाली खरीद और समायोजन प्रविष्टियों के बारे में जानकारी साझा न किए जाने/उनका उपयोग न किए जाने के कारण कर अपवंचन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए अन्य इनपुट के सत्यापन की सुविधा प्रदान की जा सके।

[पैरा 6.1.1, 6.6(क)]

- सीबीडीटी निर्धारिती (ओं) द्वारा की गई समायोजन प्रविष्टि, यदि कोई हो, से संबंधित मामले की जांच के दौरान उपयोग के लिए काउंटर पार्टियों के निर्धारण अधिकारियों के साथ रत्न और आभूषण क्षेत्र में समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं की सूची साझा करने सहित इनपुट की अंतर-क्षेत्राधिकार साझाकरण के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, न्यायालय में स्थायी परिवर्धन के लिए अपनाए गए आधार में निरंतरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड समायोजन प्रविष्टि के मामलों के संबंध में संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।

[पैरा 6.1.2, 6.6(ख)]

- डीओआर को सूचना के अंतर-विभागीय साझाकरण के लिए सख्त मॉनिटरिंग तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए ताकि प्रमुख आयातकों, निर्यातकों और घरेलू विक्रेताओं की पहचान की जा सके और कर राजस्वों की हानि की संभावना को रोकने के लिए कराधान के दृष्टिकोण से सत्यापित किया जा सके।

[पैरा 6.2, 6.6(घ)]

BSC/SS/TT/51-22